उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

मंगलवार, 08 चैत्र, शक संवत्, 1933

(दिनांक : 29 मार्च, 2011)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्न (देखिए नत्थी **"क"**)।

2. अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी **"ख"**)।

3. निधन के निदेश।

4. मुख्यमंत्री, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियन्त्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के 'राज्य सरकार के वित्त' पर प्रतिवेदन (प्रतिवेदन संख्या-1) तथा उक्त अवधि के उत्तराखण्ड सरकार से संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (प्रतिवेदन संख्या-2) सदन के पटल पर रखेंगे।

5. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

6. श्री सुरेश चन्द जैन, सदस्य, विधान सभा, "जनपद हरिद्वार के रुड़की विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रुड़की शहर में स्थित सब्जी मण्डी की इमारत को बहुमंजिला करने/मण्डी को विकसित किये जाने के संबंध में" श्री अजय कुमार, निवासी- 172/2 जी, सोलानी पुरम रुड़की जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

7. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

8. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

9. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

10. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

    (कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-**"ग"**)

11. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

12. वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान :-

(1) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-01, विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **रूपये 412943 हजार (रूपये इक्तालीस करोड़ उन्तीस लाख तैंतालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(2) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-03, मंत्रि-परिषद के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **रूपये 362044 हजार (रूपये छत्तीस करोड़ बीस लाख चौवालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(3) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-04, न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **रूपये 1413815 हजार (रूपये एक सौ इक्तालीस करोड़ अड़तीस लाख पन्द्रह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(4) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **रूपये 23615034 हजार (रूपये दो हजार तीन सौ इक्सठ करोड़ पचास लाख चौंतीस हजार मात्र**) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)**)

(5) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-10, पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **रूपये 7162801 हजार (रूपये सात सौ सोलह करोड़ अठ्ठाईस लाख एक हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)**)

(6) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **रूपये 9234938 हजार (रूपये नौ सौ तेइस करोड़ उन्नचास लाख अड़तीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)**)

(7) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-21, ऊर्जा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **रूपये 4569347 हजार (रूपये चार सौ छप्पन करोड़ तिरानवे लाख सैंतालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)**)

(8) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-14, सूचना के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **रूपये 248894 हजार (रूपये चौबीस करोड़ अठ्ठासी लाख चौरानवे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)**)

(9) लोक निमार्ण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-22, लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **रूपये 12236293 हजार (रूपये एक हजार दो सौ तेइस करोड़ बासठ लाख तिरानवे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)**)

(10) वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-27, वन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **रूपये 3200791 हजार (रूपये तीन सौ बीस करोड़ सात लाख इक्यानवे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)**)

13. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

14. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करेंगे।

15. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

16. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

17. कृषि शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय। **(पन्द्रह मिनट)**

18. कृषि शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

19. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय। **(पन्द्रह मिनट)**

20. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

21. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय। **(पन्द्रह मिनट)**

22. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

23. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय। **(पन्द्रह मिनट)**

24. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

25. शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय। **(आधा घण्टा)**

26. शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

27. राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय। **(पन्द्रह मिनट)**

28. राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

29. संसदीय कार्य मंत्री निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"चूंकि उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित क्लीनिकल अधिष्ठानों के रजिस्ट्रीकरण और विनियमन के लिए भारत सरकार द्वारा अधिनियमित क्लीनिकल अधिष्ठान (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 23 वर्ष 2010) को उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अंगीकृत किया जाना आवश्यक हो गया है;

और, चूंकि "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 252 के अनुसरण में अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम तथा संघ राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा इस आशय के संकल्प पारित किए जाने पर, कि पूर्वोक्त विषयों को उन राज्यों में संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए। संसद द्वारा नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 23 वर्ष 2010) दिनांक 18 अगस्त, 2010 को अधिनियमित किया जा चुका है और चूंकि संसद द्वारा अधिनियमित नैदानिक स्थापना (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 23 वर्ष 2010) दिनांक 18 अगस्त 2010 को अन्य राज्यों में प्रवृत्त किया गया है और अन्य राज्यों में प्रवृत्त किए जाने हेतु उन राज्यों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के साथ पठित खण्ड (1) के अनुसार उक्त अधिनियम को अंगीकृत किए जाने के दिनांक से अंगीकृत किए जाने का उपबन्ध किया गया है;

और, चूंकि इस विधान सभा को वांछनीय प्रतीत होता है कि संसद द्वारा अधिनियमित नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 23 वर्ष 2010) को उपरोक्त कारणों से उत्तराखण्ड राज्य में अंगीकृत किया जाय;

अतएव, अब यह विधान सभा संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के साथ पठित खण्ड (1) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह संकल्प करती है कि नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 23 वर्ष 2010) को इस राज्य में अंगीकृत किया जाय।"

30. संसदीय कार्य मंत्री निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"चूंकि भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा उत्तरकाशी जिले के कतिपय क्षेत्र को पर्यावरणीय अतिसंवेदनशील क्षेत्र (ईको सैंसेटिव जोन) घोषित किये जाने की योजना है,

और चूंकि पर्यावरणीय अतिसंवेदनशील क्षेत्र (ईको सैंसेटिव जोन) का चिन्ह्ंकन गलत तथ्यों पर अधारित होने, पर्यावरणीय वैज्ञानिकों के सुझाव का अभाव होने और इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है,

और चूंकि इस क्षेत्र को पर्यावरणीय अतिसंवेदनशील क्षेत्र घोषित किये जाने के पश्चात् क्षेत्र के विकास के दृष्टिकोण से सम्पन्न कराये जाने वाले समस्त विकास कार्य अवरुद्ध हो जाने की सम्भावना है। क्षेत्र के विकास कार्य अवरुद्ध होने की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र की जागरुक जनता में रोष व्याप्त है तथा आन्दोलनरत है,

अतएव, अब यह विधान सभा एतद्द्वारा केन्द्र सरकार से यह मांग करती है कि इस क्षेत्र को पर्यावरणीय अतिसंवेदनशील क्षेत्र (ईको सैंसेटिव जोन) घोषित किए जाने की कार्यवाही को तत्काल रोक दिया जाय।"

31. संसदीय कार्य मंत्री निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"चूंकि देश की सुरक्षा एवं विकास के लिए एस0एस0बी0 गुरिल्लों (स्वयं सेवकों) द्वारा निरन्तर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती रही है,

और चूंकि एस0एस0बी0 गुरिल्लों (स्वयं सेवकों) की निरन्तर यह मांग रही है कि उनकी देश की सुरक्षा एवं विकास के लिए की गई निरन्तर सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए उनके सेवायोजन, पेन्शन तथा सेवा सम्बन्धी समस्त हित लाभ तत्काल उन्हें दिए जायं ताकि वह और अधिक निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें,

अतएव, अब यह विधान सभा एतद्द्वारा केन्द्र सरकार से यह मांग करती है कि एस0एस0बी0 गुरिल्लों (स्वयं सेवकों) की सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए उनके सेवायोजन, पेंशन तथा सेवा सम्बन्धी अन्य हित लाभ दिए जायं।"

32. संसदीय कार्य मंत्री निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"चूंकि केन्द्र सरकार द्वारा जिला पिथौरागढ़ के अस्कोट के कतिपय क्षेत्र को "कस्तूरा मृग विहार" घोषित किया गया है,

और चूंकि इस क्षेत्र को मृग विहार क्षेत्र घोषित किए जाने के पश्चात् क्षेत्र के विकास के दृष्टिकोण से सम्पन्न कराए जाने वाले समस्त विकास कार्य अवरुद्ध हो गये हैं। क्षेत्र के विकास कार्य अवरुद्ध होने के कारण क्षेत्र की जागरुक जनता में रोष व्याप्त है तथा आन्दोलनरत है,

अतएव, अब यह विधान सभा एतद्द्वारा केन्द्र सरकार से यह मांग करती है कि इस क्षेत्र को तत्काल "कस्तूरा मृग विहार" क्षेत्र से मुक्त कर दिया जाय।"

33. श्री दिनेश अग्रवाल, सदस्य विधान सभा की नियम 54 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा :-

"यह सदन प्रबल संस्तुति करता है कि सार्वजनिक जीवन पर कूड़े कचरे से पड़ने वाले दुष्प्रभावों के निवारण एवं परिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने हेतु प्रदेश के स्थानीय निकायों एवं पंचायतों द्वारा कूड़ा प्रबन्धन एवं उसके अन्तिम निष्पादन हेतु ठोस योजना बनाकर शीघ्र कार्यवाही प्रारम्भ की जाय"।

34. उत्तराखण्ड के मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ कराये जाने विषयक दिनांक 10 मार्च, 2010 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-03 के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा।

35. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

36. जनपद चम्पावत के अन्तर्गत राजकीय महिला चिकित्सालय चम्पावत में महिला चिकित्सक तैनात किये जाने के संबंध में श्रीमती वीना महराना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2011 को दी गई सूचना पर, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 29 मार्च, 2011

(महेश चन्द्र)
प्रमुख सचिव।

नत्थी "ग"

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 28 मार्च, 2011 की बैठक में दिनांक 29 मार्च, 2011 के उपवेशन का कार्यक्रम पूर्व स्वीकृत कार्यक्रम के अतिरिक्त निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की हैः–

मार्च, 2011

29 (मंगलवार)

विधायी कार्य

1. उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)
2. उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)
3. उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)
4. उत्तराखण्ड कराधान तथा भू–राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)
5. उत्तराखण्ड ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)
6. उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एव भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

सरकारी संकल्प

1. "चूंकि उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित क्लीनिकल अधिष्ठानों के रजिस्ट्रीकरण और विनियमन के लिए भारत सरकार द्वारा अधिनियमित क्लीनिकल अधिष्ठान (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 23 वर्ष 2010) को उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अंगीकृत किया जाना आवश्यक हो गया है;

   और, चूंकि "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 252 के अनुसरण में अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम तथा संघ राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा इस आशय के संकल्प पारित किए जाने पर, कि पूर्वोक्त विषयों को उन राज्यों में संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए। संसद द्वारा नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 23 वर्ष 2010) दिनांक 18 अगस्त, 2010 को अधिनियमित किया जा चुका है और चूंकि संसद द्वारा अधिनियमित नैदानिक स्थापना (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 23 वर्ष 2010) दिनांक 18 अगस्त 2010 को अन्य राज्यों में प्रवृत्त किया गया है और अन्य राज्यों में प्रवृत्त किए जाने हेतु उन राज्यों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के साथ पठित खण्ड (1) के अनुसार उक्त अधिनियम को अंगीकृत किए जाने के दिनांक से अंगीकृत किए जाने का उपबन्ध किया गया है;

   और, चूंकि इस विधान सभा को वांछनीय प्रतीत होता है कि संसद द्वारा अधिनियमित नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 23 वर्ष 2010) को उपरोक्त कारणों से उत्तराखण्ड राज्य में अंगीकृत किया जाय;

   अतएव, अब यह विधान सभा संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के साथ पठित खण्ड (1) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह संकल्प करती है कि नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 23 वर्ष 2010) को इस राज्य में अंगीकृत किया जाय।"

2. "चूंकि भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा उत्तरकाशी जिले के कतिपय क्षेत्र को पर्यावरणीय अतिसंवेदनशील क्षेत्र (ईको सैंसेटिव जोन) घोषित किये जाने की योजना है,

और चूंकि पर्यावरणीय अतिसंवेदनशील क्षेत्र (ईको सैंसेटिव जोन) का चिन्हांकन गलत तथ्यों पर अधारित होने, पर्यावरणीय वैज्ञानिकों के सुझाव का अभाव होने और इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है,

और चूंकि इस क्षेत्र को पर्यावरणीय अतिसंवेदनशील क्षेत्र घोषित किये जाने के पश्चात् क्षेत्र के विकास के दृष्टिकोण से सम्पन्न कराये जाने वाले समस्त विकास कार्य अवरूद्ध हो जाने की सम्भावना है। क्षेत्र के विकास कार्य अवरूद्ध होने की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र की जागरूक जनता में रोष व्याप्त है तथा आन्दोलनरत है,

अतएव, अब यह विधान सभा एतद्द्वारा केन्द्र सरकार से यह मांग करती है कि इस क्षेत्र को पर्यावरणीय अतिसंवेदनशील क्षेत्र (ईको सैंसेटिव जोन) घोषित किए जाने की कार्यवाही को तत्काल रोक दिया जाय।"

3. "चूंकि देश की सुरक्षा एवं विकास के लिए एस0एस0बी0 गुरिल्लों (स्वयं सेवकों) द्वारा निरन्तर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती रही है,

और चूंकि एस0एस0बी0 गुरिल्लों (स्वयं सेवकों) की निरन्तर यह मांग रही है कि उनकी देश की सुरक्षा एवं विकास के लिए की गई निरन्तर सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए उनके सेवायोजन, पेन्शन तथा सेवा सम्बन्धी समस्त हित लाभ तत्काल उन्हें दिए जायं ताकि वह और अधिक निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें,

अतएव, अब यह विधान सभा एतद्द्वारा केन्द्र सरकार से यह मांग करती है कि एस0एस0बी0 गुरिल्लों (स्वयं सेवकों) की सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए उनके सेवायोजन, पेंशन तथा सेवा सम्बन्धी अन्य हित लाभ दिए जायं।"

4. "चूंकि केन्द्र सरकार द्वारा जिला पिथौरागढ़ के अस्कोट के कतिपय क्षेत्र को "कस्तूरा मृग विहार" घोषित किया गया है,

और चूंकि इस क्षेत्र को मृग विहार क्षेत्र घोषित किए जाने के पश्चात् क्षेत्र के विकास के दृष्टिकोण से सम्पन्न कराए जाने वाले समस्त विकास कार्य अवरूद्ध हो गये हैं। क्षेत्र के विकास कार्य अवरूद्ध होने के कारण क्षेत्र की जागरूक जनता में रोष व्याप्त है तथा आन्दोलनरत है,

अतएव, अब यह विधान सभा एतद्द्वारा केन्द्र सरकार से यह मांग करती है कि इस क्षेत्र को तत्काल "कस्तूरा मृग विहार" क्षेत्र से मुक्त कर दिया जाय।"

नियम 54 की सूचना :-

1. श्री दिनेश अग्रवाल, सदस्य विधान सभा की नियम 54 के अन्तर्गत दी गयी निम्नलिखित सूचना के प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा हेतु तिथि निर्धारण पर विचारः-

"यह सदन प्रबल संस्तुति करता है कि सार्वजनिक जीवन पर कूड़े कचरे से पड़ने वाले दुष्प्रभावों के निवारण एवं परिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने हेतु प्रदेश के स्थानीय निकायों एवं पंचायतों द्वारा कूड़ा प्रबन्धन एवं उसके अन्तिम निष्पादन हेतु ठोस योजना बनाकर शीघ्र कार्यवाही प्रारम्भ की जाय"।

नत्थी 'घ'

वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्याः- 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य, 10 पुलिस एवं जेल, 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, 21 ऊर्जा, 14 सूचना, 22 लोक निर्माण कार्य, 27 वन।

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
क- 1. डा0 हरक सिंह रावत, 2. श्री यशपाल आर्य, 3. श्री प्रीतम सिंह, 4. श्री महेन्द्र सिंह माहरा, 5. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 6. श्रीमती अमृता रावत, 7. श्री दिनेश अग्रवाल, 8. श्री जोत सिंह गुनसोला, 9. श्री रणजीत सिंह रावत, 10. श्री तिलक राज बेहड़, 11. श्री बलवीर सिंह नेगी, 12. श्री गोपाल सिंह राणा, 13. कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" 14. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, 15. श्री केदार सिंह रावत, 16. श्री राजेश जुवांठा, 17. श्री करन माहरा, 18. श्री मनोज तिवारी, 19. श्री मयूख महर,	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
ख- 1. श्री पुष्पेश त्रिपाठी	-तदैव-

उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची
मंगलवार, 8 चैत्र, शक संवत्, 1933
(दिनांक : 29 मार्च, 2011)

नत्थी "क"

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 40 (2) के अन्तर्गत विधान सभा के प्रथम सत्र, 2011 के तृतीय मंगलवार हेतु स्थगित तारांकित प्रश्न

श्री जोत सिंह गुनसोला
25.11.2010

*1. क्या सिंचाई एवं बाढ़ मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं की जनपदवार संख्या क्या है और वर्ष 2009–10 तक वर्तमान सरकार द्वारा लिफ्ट सिंचाई योजनाओं से कुल कितनी भूमि सिंचित की जा रही है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि लिफ्ट सिंचाई के माध्यम से सिंचाई सुविधायें बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

सिंचाई एवं बाढ़

नत्थी "ख"

तारांकित प्रश्न

श्री जोत सिंह गुनसोला 06.12.2010	*1. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2009 से वर्तमान तक प्रदेश के सभी नागरिकों को मानकों के अनुरूप पेयजल उपलब्ध करवाया गया है? यदि नहीं, तो शहरी व ग्रामीण जनता को मानकों के अनुरूप सरकार पेयजल कब तक उपलब्ध करवायेगी?	पेयजल
श्री मनोज तिवारी 19.01.2011	*2. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के अल्मोड़ा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पेयजल की समस्या को देखते हुए कोसी बेराज का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	चतुर्थ मंगलवार के तारांकित 2 में स्था0
श्री जोत सिंह गुनसोला 10.02.2011	*3. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भारत सरकार द्वारा संचालित जे0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत सीवर लाईन बिछाने के मानक क्या हैं तथा मानव विष्ठा के उत्सरण हेतु प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी मात्रा पानी की आवश्यकता पड़ती है? क्या मसूरी में सरकार द्वारा जे0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत सीवर लाईन बिछाने में उपरोक्त मानकों का ध्यान रखा गया हैं? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्री जोत सिंह गुनसोला 11.02.2011	*4. क्या वाहृय सहायतित परियोजना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य में भारत व नेपाल के मध्य कितने–कितने मेगावाट की नदी परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है एवं कार्य आरम्भ व समाप्त करने की तय समय सीमा का अनुपालन हो रहा हैं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या सरकार वर्तमान में किसी नई परियोजना पर स्वीकृति प्रदान करने निर्णय ले रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	सप्तम् सोमवार के तारांकित 2 में स्था0
काजी निजामुद्दीन 01.03.2011	*5. क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि कस्बा मंगलौर, जनपद हरिद्वार में विभाग द्वारा पूर्व में बनाए गए एक मात्र ओवर हैड टैंक को निष्प्रयोज्य घोषित कर दिये जाने के उपरांत भी पानी की आपूर्ति नही की जा रही है? क्या यह सत्य है कि उक्त ओवर हैड टैंक अत्यन्त जर्जर स्थिति में तथा घनी आबादी के बीच है, जो लगभग एक लाख की आबादी को पूर्णरूप से जलापूर्ति नही कर पा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त ओवर हैड टैंक के स्थान पर अन्यत्र एक नया और बड़ा ओवर हैड टैंक बनाने पर विचार करेगी ताकि जर्जर ओवर हैड टैंक के गिरने से लोगों की जान माल और साथ ही पर्याप्त मात्रा में लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो सके। यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल

अतारांकित प्रश्न

श्री दिनेश अग्रवाल 25.02.2011 श्री किशोर उपाध्याय 25.02.2011	**1.**	**विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।**	**समाज कल्याण**
श्री बिशन सिंह चुफाल 25.02.2011	**2.**	क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री जी द्वारा डीडीहाट नगर लिफ्ट पेयजल योजना की घोषणा की गई है? यदि हां, तो क्या उसका शासनादेश जारी कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?	**पेयजल**
श्री ओम गोपाल 28.02.2011	**3.**	क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में कुल कितनी पेयजल पम्पिंग योजनायें स्वीकृत है तथा कितनी निर्माणाधीन है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि स्वीकृत पेयजल पम्पिंग योजनाओं को पूर्ण होने की कोई समय सीमा तय की गयी है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं,तो क्यों?	**पेयजल**
श्री गणेश जोशी 28.02.2011	**4.**	क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत चांदमारी, पुरोहितवाला, नागनाथ, थाबड़वाला, बिलासपुर, काण्डली, जैंतनवाला, बांगा, कुठालगेट, नयागांव आदि क्षेत्र पेयजल संकट से जूझ रहे है? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि मंत्री जी द्वारा उपरोक्त क्षेत्र में विभागीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर कोई 60 लाख की पेयजल योजना तैयार कर शासन को धन स्वीकृत हेतु प्रेषित की गयी? यदि हां, तो उपरोक्त योजना कब तक आरम्भ की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	**पेयजल**
श्रीमती अमृता रावत 28.02.2011	5.	**विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।**	**सहकारिता**
श्रीमती अमृता रावत 28.02.2011	**6.**	विधान सभा के तृतीय सत्र, 2009 के प्रथम मंगलवार को उत्तरित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या–07 के सन्दर्भ में सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त प्रश्नोत्तर के द्वारा सही और चाही गई जानकारी उपलब्ध न करवाए जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्रांक 4098 / विद्यालय / 15–सहकारिता / 2009–10 दिनांक 19 जनवरी, 2010 तथा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री के पत्र संख्या–वी0आई0पी0 / 944 / XXXV–1 / 2010(2) दिनांक 02.02.2010 सहकारिता विभाग को कब–कब प्राप्त हुए हैं तथा पत्रों में वर्णित तथ्यों पर की गई कार्यवाही का विवरण क्या है और पत्रों पर की गई कार्यवाही की जानकारी प्रश्नकर्ता को अभी तक उपलब्ध न किये जाने के क्या कारण है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि व्यासचट्टी साधन सहकारी समिति का व्यासचट्टी स्थित भवन किसके उपयोग में लाया जा रहा है तथा इस भवन का निर्माण किसकी भूमि पर कब किया गया है?	**सहकारिता**

श्री जोत सिंह गुनसोला
01.03.2011

7. क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्रमिकों के हितों के लिए सरकार ई0एस0आई0 के कुल कितने बड़े अस्पतालों को निर्माण प्रदेश में करने जा रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रम

श्री गणेश जोशी
03.03.2011

8. क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत पौराणिक टपकेश्वर महादेव, कौलागढ़ एक पर्यटन एवं तीर्थाटन के उद्देश्य से अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थल है किन्तु यात्रियों के लिए उपरोक्त स्थल के आवागमन के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं है? क्या सरकार अनारवाला से गढ़ीकैण्ट होते हुए आई0एस0बी0टी0 के लिए संचालित नगर बस सेवा को वाया नींबूवाला, कौलागढ होकर संचालित करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन